(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Committee for Confirmation consisting of:—** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board –Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 23/08/2016-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 348.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बेतार योजना और समन्वय तथा मोनिट्रिंग संगठन (कनिष्ठ बेतार अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग कनिष्ठ बेतार अधिकारी बेतार योजना और समन्वय खंड और मानीटरिंग संगठन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेतार योजना और समन्वय तथा निगरानी संगठन (कनिष्ठ बेतार अधिकारी) (समूह ख) भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ बेतार अधिकारी	168* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	भारतीय रेडियो विनियामक सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित) (अनतुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400 से 112400/- रुपए)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए **5** वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या बोर्ड से दूरसंचार या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोनिकस या रेडियो संचार के क्षेत्र में इंजीनियरी में डिप्लोमा । **वांछनीय :** (अ) 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से दूरसंचार या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो संचार के क्षेत्र में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मेरीटाइम मोबाइल या एकरोमोबाइल संचार में प्रमाण पत्र (आ) किसी सरकारी अथवा प्राइवेट सेक्टर सूचिबद्ध* संगठन में रेडियो संचार उपस्कर के प्रचालन और रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव * पब्लिक शेयर धारियों के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या कंपनियों पर सूचिबद्ध कारपोरेट अस्तित्व।

	टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष परिवीक्षा के भाग के रूप में विभाग द्वारा यथा विहित और प्रायोजित तीन माह के प्रतिष्ठान प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आज्ञापक होगा।	100% सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण 1 :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) संयुक्त बेतार सलाहकार प्रशासनिक काडर का भार साधक -अध्यक्ष (2) उप बेतार सलाहकार (बेतार सलाहकार द्वारा नामनिर्देशित रूप में) -सदस्य (3) निदेशक या उप सचिव प्रशा. II दूरसंचार विभाग -सदस्य	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एस-12018/01/2015-प्रशा. I]

अनिल कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 6th October, 2017

G.S.R. 348.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Wireless Planning and Co-ordination and Monitoring Organisation (Junior Wireless Officer) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Junior Wireless Officer, in Wireless Planning and Coordination Wing and Monitoring Organisation, Ministry of Communications, Department of Telecommunications, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Wireless Planning and Co-ordination and Monitoring Organisation (Junior Wireless Officer), (Group 'B') Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Scheduled annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification** .—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation to this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Wireless Officer	168 *(2017) *Subject to variation dependent on workload.	Indian Radio Regulatory Service Group "B" Non-Gazetted Non-Ministerial	Level- 6 (Rs. 35400-112400/-)	Not applicable

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years **Note 1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).	**Essential :** Diploma in Engineering in the flied of Telecommunications or Electrical or Electronics or Radio Communications from a recognised university or Institute or Board **Desirable:** (A) (I) Degree in Engineering or Technology in the fields of Telecommunications or Electrical or Electronics or Radio Communications from a recognized university or Institute Or (II) Certificate in maritime mobile or Acro-Mobile communications from recognised university or Institute. (B) Two Years' Experience in operation and maintenance of Radio Communications equipment in a Government or private sector listed * organisation. * corporate entities listed on the national stock exchanges or companies with public share holdings. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Schedule Tribes if at any stage of Selection is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possess the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
NA	Two Years. Successful completion of mandatory three months foundation training programme as prescribed and sponsored by the department, as part of probation.	100 % Direct Recruitment **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the central Government officers holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7). (period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion /deputation absorption to be made
(11)
Not Applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group "B" Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :- 1. Joint Wireless Adviser in charge of Administration of Cadre - Chairman 2. Deputy Wireless Adviser (As nominated by the Wireless Adviser) - Member 3. Director or Deputy Secretary (Admn.II), Deptt. of Telecom – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary in making recruitment.

[F. No. A-12018/01/2015-Admn.II]

ANIL KUMAR SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.10.31 13:09:48 +05'30'